मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड–II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र.5812 /22/वि–12/FA/2020 भोपाल, दिनांक 22/5/2020

स्थाई आदेश क्रमांक–13

----00----

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 3994/22/वि–12/FA/2020 भोपाल, दिनांक 16.03.2020 स्थाई आदेश क्रमांक–12 के द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 8241/22/वि–12/FA-DP/2018 भोपाल, दिनांक 20.04.2018 से जारी स्थाई आदेश क्रमांक–6 एवं 17397/FA/DP दिनांक 23.08.2018 से जारी स्थाई आदेश क्रमांक 6 (a) जिस से निविदा प्रपत्र में नियोजक के लिए वर्णित अधिकार, विभिन्न स्तर पर प्रत्यायोजित किये गये थे को, अतिक्रमित करते हुये जारी किया गये थे। वर्तमान में कोविड–19 के कारण आवागमन की असुविधा एवं सोशल डिस्टेंसिंग को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु निम्नानुसार अधिकार आगमी आदेश तक प्रत्यायोजित किये जाते है :

<table>
<tr><th>स. क्र.</th><th colspan="2">निविदा प्रपत्र</th><th>अनुबंध की कंडिका संदर्भ</th><th>विषय</th><th>अधिकारी का पदनाम जिसे अधिकार प्रत्यायोजित किये जा रहे है।</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td colspan="2">(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td>SBD for Construction & Maintenance of Rural Road – January - 2008</td><td>Section-4 Part-I GCC-44</td><td rowspan="4">Liquidated Damages निर्धारित करने एवं अंतिम समयवृद्धि देने का अधिकार</td><td rowspan="4">क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td>(a)</td><td>SBD for Construction & Maintenance of PMGSY works- Sept. 2016
Bidding document for Construction & maintenance PMGSY ADB-RRS-II Nov-2009 & PMGSY-RCIP March-2012, RCIP-II Sept-2017 Rural Roads / Bridges September 2017</td><td>Section-4 Part-I GCC-44</td></tr>
<tr><td>(b)</td><td>Bidding document for MPRCP Works- Sept-2017</td><td>GCC -47</td></tr>
<tr><td>(c)</td><td>Bidding document of MMGSY Jan-2012</td><td>GCC -2</td></tr>
</table>

3	(a) Tender document for Repaire & Maintenance of Rural Roads, Sept-2007 & Dec-2015	GCC -44		
	(b) Tender document for shifting of electric lines - August- 2009	GCC -2	Liquidated Damages निर्धारित करने एवं अंतिम समयवृद्धि स्वीकृत करने के अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
4	(a) SBD for PMGSY Jan-2008 & Sept-2016/ PMGSY-RCIP March-2012, RCIP-II Sept 2017/ Rural Road / Bridges Sept-2017/ ADB RRS II / PMGSY Jan-2008	GCC -24	महाप्रबंधक द्वारा अनुबंध के अनुच्छेद–52.1 एवं 33 (GCC) के अंतर्गत की गई कार्यवाही से उत्पन्न वाद निराकरण के अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
	(b) MMGSY Jan-2012	GCC -29	महाप्रबंधक द्वारा अनुबंध के अनुच्छेद–3 (GCC) के अंतर्गत की गई कार्यवाही से उत्पन्न वाद निराकरण के अधिकार	
	(c) Tender document for Repaire & Maintenance of Rural Roads – Sep- 2007 & Dec. 2015.	GCC -24	महाप्रबंधकों द्वारा अनुच्छेद – 52 के अंतर्गत की गई कार्यवाही से उत्पन्न समस्त प्रकार के वाद निराकरण के अधिकार	
	(d) क्रमांक 4 (a) से लेकर 4 (c) तक उल्लेखित समस्त निविदा प्रपत्र एवं Natioanl Bidding Document & MPRCP	GCC -24, 29	अनुच्छेद 52/33 एवं 57 के अंतर्गत की गई कार्यवाही से उत्पन्न सभी प्रकार के Quantified Claims का निराकरण	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
5	(a) Shifting / Raising of High Voltage (HV) / Medium Voltage (MV) / Low Voltage (LV) Lines and Poles form Alignment of PMGSY Roads August 2009	GCC -27	महाप्रबंधक द्वारा अनुबंध के अनुच्छेद – 3 (GCC) के अंतर्गत की गई कार्यवाही से उत्पन्न वाद निराकरण के अधिकार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
6	SBD for Construction & Maintenance of Rural Road PMGSY Sept 2016, RCIP-II Sept 2017, MPRCP Sept 2017 , Rural Roads / Bridges Sept-2017	Section-4 Part-I GCC Clause 7 Sub Contracting.	ठेकेदार द्वारा अनुबंधित निर्माण कार्य का 25% तक तथा 5 वर्षो के रूटीन मेन्टेनेंस कार्य का कुछ प्रतिशत अथवा पूर्ण कार्य अनुबंध की शर्तो के अनुसार	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक

			सबलेट करने की अनुमति देने का अधिकार है।	
7	SBD for Construction & Maintenance of Rural Road PMGSY Jan-2008 & Sept 2016, MPRCP Sept 2017, RCIP-II Sept 2017, Repair & Maintenance Dec 2015, Rural Roads / Bridges Sept-2017	Section-4 Part-I GCC Clause-27	Liquidated damages भारित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए अनुबंधित अवधि में प्रथम 6 माह तक की समयवृद्धि देने के अधिकार। 6 माह से अधिक।	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक मुख्य कार्यपालन अधिकारी
8	(a) SBD for Construction & Maintenance of Rural Road PMGSY Sept 2016/2008/ Rural Roads Bridges Sept 2017, RCIP-II Sept-2017 (b) Repair & Maintenance Dec-2015 (c) MPRCP Sept-2017	GCC -36 GCC 35.2.3 GCC -38	(a) पैकेज की अनुबंधित राशि की सीमा के अंदर, स्थल की आवश्यकतानुसार, विचलन स्वीकृत करने के पूर्ण अधिकार। (क्रस्ट रिवीजन छोड़कर) (b) अनुबंधित मात्राओं से 25% से अधिक मात्राओं की दरो (आयटम रेट अनुबंधो में) का अनुमोदन। (c) Non Schedule एवं Non SOR Items की दरे। ((b) एवं (c) से संबंधित दरे मुख्यालय की तकनीकी समिति की अनुशंसा अनुसार)	क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक
9	(a) SBD for Construction & Maintenance of Rural Road PMGSY Sept 2016/ Rural Roads Bridges Sept 2017, RCIP-II Sept-2017/ (b) Repair & Maintenance Dec-2015 (c) MPRCP Sept-2017	GCC -36 GCC 35.2.3 GCC -38	पैकेज की अनुबंधित लागत के अंतर्गत स्थल की आवश्यकतानुसार किये जाने वाले विचलन, जिनमें किसी भी आयटम में अनुबंधित मात्रा के 25 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत विचलन हो, नीचे वर्णित शर्तो के अधीन अधिकार।	महाप्रबंधक पी.आई.यू

नोट – मुख्यालय की समस्त प्रभागो की नस्तिया प्रमुख अभियंता के माध्यम से प्रस्तुत की जाये।

प्रत्यायोजन की सामान्य शर्ते :–

1 स. क्र. 9 पर महाप्रबंधकों को प्रत्यायोजित अधिकार निम्न शर्तों के आधीन होगें :–

a) यदि पैकेज से कोई सड़क विलोपित की जाती है (विलोपन की स्वीकृति मुख्यालय से लेनी होगी) अथवा किसी सड़क या उसके भाग का किसी कारणवश निर्माण नहीं हो पाता तो उस मार्ग की अनुबंधित लागत पैकेज की अनुबंधित राशि में से कम की जायेगी एवं शेष सडकों के लिये विचलन की कुल लागत, समानुपातिक अनुबंधित लागत की सीमा में हो तो महाप्रबंधक स्वीकृत करेंगे। इसी प्रकार यदि स्वीकृत चौडाई 3.75 मीटर के स्थान पर 3 मीटर होती है तो उस मार्ग की अनुबंधित लागत में 20 प्रतिशत कम करके समानुपातिक लागत की गणना की जायेगी।

b) सामान्यतः DPR में दिए गए प्रावधानों में विचलन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए फिर भी यदि किसी कारणवश विचलन आवश्यक है तो संबंधित मुख्य महाप्रबंधक पैकेज की अनुबंधित लागत के अंदर स्वीकृति देने हेतु सक्षम होगे। अनुबंधित लागत से अधिक कार्य मुख्यालय से स्वीकृत लेने के बाद ही कराया जाय।

यदि पैकेज में विचलन की आवश्यकता है तो प्रकरण कार्यादेश के 3 माह के अन्दर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाय तथा इनका निराकरण स्थाई आदेश क्रमांक 9 दिनांक 16.04.2018 में दिये गये निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जाये।

c) स्वीकृत मार्गो में स्लैब कल्वर्ट/बॉक्स कल्वर्ट को वेंन्टेड कॉस–वे/ह्यूम पाईप कल्वर्ट में बदलने या सी.डी. कार्य के स्वरूप में परिवर्तन होने की स्थिति में महाप्रबंधक प्रकरण स्वीकृति हेतु मुख्य महाप्रबंधक को भेजेगें। मुख्य महाप्रबंधक द्वारा पूर्ण तकनीकी परीक्षण उपरांत शासन हित में निर्णय लेकर अनुबंधित लागत के अंदर स्वीकृति देंगे। यदि DPR में दिए गए स्ट्रक्चर में मामूली परिवर्तन आवश्यक है यथा ह्यूम पाईप कल्वर्ट में कुछ पाईप बढ़ाना या स्लैब कल्वर्ट की कुछ लम्बाई बढ़ाना आवश्यक है तो इसके लिए महाप्रबंधक सक्षम होंगे लेकिन यदि स्ट्रक्चर के स्वरूप (नेचर ऑफ स्ट्रक्चर) में बदलाव किया जाना है तो ऐसे प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक से अनुमति प्राप्त की जाये।

d) यदि मिट्टी के कार्य (अर्थवर्क/कटिंग एवं सबग्रेड सहित) कुल मात्रा डीपीआर में स्वीकृत मात्रा एवं राशि से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ती है तो महाप्रबंधक विचलन स्वीकृत करेगें। अन्यथा मुख्य महाप्रबंधक अनुबंधित लागत के अंदर विचलन स्वीकृत करने हेतु सक्षम होंगे।

e) यदि पैकेज लागत के तहत सडकों में GSB का कार्य प्रावधानित मटेरियल से Higher Specification के मटेरियल से अर्थात् RBM GSB के स्थान पर क्रस्ड स्टोन GSB अथवा लोकल GSB के स्थान पर RBM/क्रस्ड स्टोन GSB के साथ किया जाता है तो उसके विचलन की स्वीकृति महाप्रबंधक के स्तर पर इस शर्त के साथ दी जा सकेगी कि भुगतान BOQ में प्रावधानित मटेरियल की स्वीकृत दर पर ही किया जायेगा। यदि प्रावधानित GSB से निम्न श्रेणी के मटेरियल से GSB करने की अपरिहार्यता की स्थिति बनती है तो इसके लिए पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए इसको करने की अनुमति संबंधित मुख्य महाप्रबंधक से प्राप्त की जाय।

f) G-3 का कार्य Stone Screening से ही कराना होगा, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार WBM के स्थान पर, WMM से कार्य, WBM की दर पर पैकेज लागत के अंदर महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते ठेकेदार WMM कार्य हेतु निर्धारित मापदंड एवं प्रक्रिया के पालन हेतु पूर्व सहमति प्रदान करें।

2 महाप्रबंधक स्वीकृत विचलन की प्रति निर्धारित प्रारूप में आयटम वार विचलन के कारण दर्शाते हुये संबंधित मुख्य महाप्रबंधकों एवं मुख्यालय (संबंधित योजना प्रभाग) को प्रेषित करेंगें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचलन स्वीकृति में शासकीय हितों की अनदेखी न हो।

3 विचलन एवं मार्गो के क्रस्ट परिवर्तन के प्रकरण मुख्य महाप्रबंधक मुख्यालय के संबंधित प्रभाग के माध्यम से निर्णय हेतु तकनीकी समिति को प्रस्तुत करेगें। प्रकरण अनुशंसा सहित भेजते समय क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक यह प्रमाणित करेंगे कि उनके द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रस्तावित कार्य की आवश्यकता सुनिश्चित कर ली गई है। प्रकरण मुख्यालय भेजते समय महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक प्रावधानित मात्राओं से 25% से अधिक मात्राओं के आयटम एवं एक्स्ट्रा आयटमों की दरें निर्धारित प्रक्रियानुसार दर विश्लेषण के साथ प्रस्तावित कर भेजेंगे।

4 यदि किसी पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत मार्गों में अतिरिक्त सी.सी. सड़क निर्माण करने की अति आवश्यकता है किन्तु डी.पी.आर त्रुटिपूर्ण होने या अन्य कारण से प्रावधान नहीं है तो सी.सी. रोड़ की 10% लंबाई बढ़ाने के अधिकार महाप्रबंधको को दिये जाते है। 10% से अधिक लंबाई बढ़ने पर मुख्य महाप्रबंधक स्थल निरीक्षण कर, स्थल की आवश्यकता एवं तकनीकी रूप से सहमत होने के उपरांत अनुबंधित लागत के अंतर्गत अनुमति प्रदान करेगें।

5 प्रकरणों की सुनवाई के लिए उभयपक्षों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से एवं यथासंभव व्यक्तिगत रूप से भी प्रकरणो की सुनवाई की सूचना तामील कराई जाए। प्रकरणों में सूचना प्राप्त होने का प्रमाण/स्पीड पोस्ट की रसीद भी अनिवार्यतः संधारित की जाएगी।

6 प्राधिकारी द्वारा परिनिर्धारित नुकसानी (Liquidated Damage) का निर्णय दस्तावेजों के आधार पर एवं संविदा में विभिन्न पक्षों को आवंटित जोखिम (Risk) के आधार पर पूर्ण विवेचना एवं सुनवाई पश्चात ही किया जाए।

7 प्राधिकारी द्वारा अन्य समस्त प्रकरणों का निर्णय करने से पूर्व संविदा के प्रावधान अनुसार प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त का पालन करते हुए सुनवाई की आवश्यकता होने पर सुनवाई के पश्चात ही निर्णय किया जाए।

8 प्रतिशत दर निविदाओं में कार्य की मात्रा 25% से अधिक होने पर भी स्वीकृत विचलन के अनुसार SOR में दी गई दरों पर ही भुगतान किया जाएगा यदि किसी संविदाकार द्वारा कार्य की मात्रा अनुबंधित राशि से 25% से अधिक बढ़ाने पर अतिरिक्त दरों की मांग की जाती है तो ऐसे प्रकरण मुख्यालय की संबंधित शाखा को भेजे जायेंगे जिनपर निर्णय तकनीकी समिति द्वारा लिया जाएगा।

9 Non Schedule एवं Non SOR (अतिरिक्त आयटम) की दरें वर्तमान प्रक्रिया अनुसार मुख्यालय की तकनीकी समिति द्वारा जॉच पश्चात अनुशंसित की जाएगी। (तकनीकी समिति का यह दायित्व होगा कि यदि कोई Non SOR आयटम दर निर्धारण हेतु बार–बार प्रस्तुत होता है तो उसे SOR में शामिल करने की तुरंत कार्यवाही करे)

10 प्रत्यायोजन में परिवर्तन से पूर्व संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत प्रकरण/अपील निर्णीत नहीं है तो तुरन्त आवेदन/नस्ती संबंधित प्राधिकारी को हस्तांतरित किया जाए। मुख्यालय की वित्तीय सलाहकार शाखा में अनिर्णीत लंबित प्रकरणों को 07 दिवस के अन्दर संबंधित प्राधिकारी को हस्तांतरित किया जाए।

11 MTN/PTN के अनुबंधों के संबंधों में जारी स्थाई आदेश क्रमांक 10 [A] (पत्र क्रमांक 18730/22/वि–12/FA/2019 दिनांक 16.12.2019) के प्रावधान लागू रहेगें।

12 पत्र क्रमांक 17397/FA/DP/भोपाल, दिनांक 23.08.2018 से जारी स्थाई आदेश क्रमांक–6 (a) निरस्त किया जाता है एवं इस विषय से संबंधित पूर्व में जारी अन्य समस्त परिपत्र निरस्त माने जाए।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(शशांक मिश्रा)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल

पृ.क्र. 5813 **/22/वि–12/FA/2020** **भोपाल, दिनांक** 22/5/**2020**

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त मुख्य महाप्रबंधक मुख्यालय एवं जबलपुर, रीवा, इन्दौर, ग्वालियर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (मुख्यालय एवं पी.आई.यू) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. गार्ड फाइल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, भोपाल